न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 798 सन 2021

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संतोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. बिमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सतीश पुत्र निर्दोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. निशा देवी पुत्री निर्दोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. निर्मला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 84/75 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता संख्या 100/89 की कुल 2.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामप्रताप पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र/पुत्री/पत्नि है जिनमें एक पुत्री निर्दोष का देहान्त है चुका है इसप्रकार रामप्रताप पुत्र बालुराम के जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो वाद भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है ने दुसरे चक में भूमि रख कर वाद भूम में अपने हकों का त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है एवं रामप्रताप पुत्र बालुराम की पुत्रीव पुत्री के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामप्रताप पुत्र बालुराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 84/75 की कुल 0.5060हैक्ट व रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता संख्या 100/89 की कुल 2.9470हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामप्रताप पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र/पुत्री/पत्नि है जिनमें एक पुत्री निर्दोष का देहान्त है चुका है इसप्रकार रामप्रताप पुत्र बालुराम के जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो वाद भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है ने दुसरे चक में भूमि रख कर वाद भूम में अपने हकों का त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है एवं रामप्रताप पुत्र बालुराम की पुत्रीव पुत्री के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 84/75 की कुल 0.5060हैक्ट व रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता संख्या 100/89 की कुल 2.9470हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है रामप्रताप पुत्र बालुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में रामप्रताप का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पृष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नो॰र

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 84/75 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता संख्या 100/89 की कुल 2.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संतोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. बिमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सतीश पुत्र निर्दोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. निशा देवी पुत्री निर्दोष पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. निर्मला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 798 सन 2020 निर्णय दिनांक– 27/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 84/75 की कुल 0.5060हैक व रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता संख्या 100/89 की कुल 2.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामप्रताप पुत्र बालुराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner